तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए/3305/2000/बांरा सरकार बनाम मोरपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
मुकेश जैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 01.02.2019

यह रेफरेन्स धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–07–2000 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परगना अधिकारी, छबडा द्वारा असेसी मोरपाल के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22–05–1974 से सीलिंग कार्यवाही समाप्त की। तत्पश्चात् उप जिला कलक्टर, छबडा ने मृतक अप्रार्थी मोरपाल के खाते में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानते हुए रिओपन की कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित किया। तत्पश्चात् बारां जिला घोषित होने से प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांरा के न्यायालय में स्थान्तरित हुआ, जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 17–12–1999 से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया। राज्य सरकार के पत्रांक 1(55) राज/ग्रुप–बी/2000 दिनांक 17–04–2000 से अवगत कराया कि प्रकरण रिओपन करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए/3305/2000/बांरा सरकार बनाम मोरपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत राजस्व मण्डल में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे। राज्य सरकार के इसी पत्र के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि असेसी के खाते में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी। परगना अधिकारी, छबडा द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 227/1969 में पारित निर्णय दिनांक 22-05-1974 से असेसी मोरपाल के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए सीलिंग कार्यवाही को समाप्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि असेसी के धारण में निर्धारित तिथि को 35.34स्टैण्डर्ड एकड भूमि थी तथा असेसी के परिवार में चार सदस्य थे, जिसके आधार पर वे केवल 30स्टैण्डर्ड एकड भूमि ही सीलिंग सीमा अनुसार रख सकते थे किन्तु परगना अधिकारी द्वारा असेसी के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानकर सीलिंग प्रकरण को समाप्त करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार कर असेसी के खाते सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये जावे अथवा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर को सीलिंग प्रकरण में सुनवाई कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए/3305/2000/बांरा सरकार बनाम मोरपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी, जिला कलक्टर का अधीनस्थ न्यायालय नहीं होने से सीलिग प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता है। उनका कथन है कि प्राधिकृत अधिकारी परगना अधिकारी, छबडा द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 227/1969 में विधिसम्मत् निर्णय दिनांक 22–5–1974 को पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि रिओपन की अवधि समाप्त हो चुकी है एवं निर्धारित समयावधि में राज्य सरकार द्वारा सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उनका कथन है कि अवधि समाप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार भी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1982 आरआरडी पेज 411 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने असेसी मोरपाल के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए/3305/2000/बांरा सरकार बनाम मोरपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुए आदेश दिनांक 22–05–1974 से सीलिंग कार्यवाही समाप्त की गयी। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–12–1999 से प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक 1(55) राज/ग्रुप–बी/2000 दिनांक 17–04–2000 से अवगत कराया कि प्रकरण रिओपन करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत राजस्व मण्डल में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे। राज्य सरकार के इसी पत्र के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां सीलिंग प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत कर सकते है अथवा नहीं ? प्राधिकृत अधिकारी, जिला कलक्टर का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। ऐसी स्थिति में सीलिंग प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1982 आरआरडी पेज 411 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है। उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टी.ए/3305/2000/बांरा सरकार बनाम मोरपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	